श्री सिकन्दर बख्त : वाईस चेयरमैन साहिबा, हम चाहते हैं कि क्वेश्चन आवर चले। इतना टाईम हो गया, कमाल है। ...(व्यवधान)

उपसभापति : सिकन्दर बख्त साहब, वह उसी हालत में होगा जब मैं सस्पेंड करूंगी। मैंने सस्पेंशन का कोई आपको निर्णय नहीं दिया है।...(व्यवधान)

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): Let me move a resolution . I seek the indulgence of the Chair to move my resolution.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have not given permission to move any resolution.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: I would like to move my resolution.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have not given my permission. Please sit down. (*Interruptions*). No. :

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: I can move it.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Even to move that, you have to take my permission. I am not giving permission. (*Interruptions*).

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: I move a resolution for the suspension of the Question Hour.

SHRI V. NARAYANASAMY: The Chair has not given permission. (*Interruptions*).

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: I can move it within the rules.

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is not in the rules.

SHRI YASHWANT SINHA: There is no greater consideration than the sense of the House.

THE DEPUTY CHAIRMAN: will adjourn the House (*Interruptions*) if you want to take away the right of the Member to put his question, I will not be a party to it. I will adjourn the House. (*Interruptions*) I will permit it at 12 o'clock. (*Interruptions*)

SHRI YASHWANT SINHA: Madam, the sense of the House is sovereign. (*Interruptions*)

श्री मुरली मनोहर जोशी (उत्तर प्रदेश) : महोदया, इस स्कैम में जो भी शामिल है उसे देश जाने। आप देश को सच्चाई जानने के हक से वंचित कर रही हैं।...(व्यवधान)

उपसभापति : नहीं, मैं वंचित नहीं कर रही हूं। गलत मत बोलिए ...(व्यवधान) Since I have not suspended the Question Hour. whatever they are speaking is not going on record. I will give you permission at 12 o'clock and I adjourn the House.

The House then adjourned at eleven minutes past eleven of the clock.

12.00 noon —

[The House reassembled at 12 of the clock. **The Deputy Chairman** in the Chair]

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Pay scales of Teachers of Kendriya Vidyalaya and Navodaya Vidyalaya in union Territories

*341. SHRI RAM GOPAL YADAV:
SHRIMATI SARALA MAHESHWARI:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) Whether it is a fact that the pay-scales of different categories of

teachers of the Kendriya Vidyalayas, Navodaya Vidyalayas etc. working in Union Territories are less as compared to their counterparts in many States in general and Maharashtra, Rajasthan, Tripura and Manipur in particular; and

(b) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): (a) and (b) The pay scales and service conditions of teachers in the Union Territories, Kendriya Vidyalayas, and Navodaya Vidyalayas etc. are generally comparable, if not better, to those of their counterparts in the State Government.

बाल कल्याण परियोजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन

342. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले कई महीनों से केन्द्र सरकार से समय पर धन प्राप्त न होने के कारण सामान्यतः विभिन्न राज्यों में और विशेषतः हिमाचल प्रदेश में स्थित बाल कल्याण परियोजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उनका वेतन नहीं मिल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो समय पर धन उपलब्ध कराने में क्या कठिनाइयां हैं और कर्मचारियों को समय पर वेतन का भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं ?

(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने की व्यवस्था करेगी कि इन परियोजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उनका वेतन समय पर मिलता रहे ; और

(घ) वर्ष 1992-93 के दौरान इन परियोजनाओं के लिए राज्यवार कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई है।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) स्वीकृत केन्द्रीय वित्त-पोषित बाल कल्याण परियोजनाओं-के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध है। कार्यान्वयन ऐजेंसियों को अर्थात् राज्य सरकार अथवा गैर सरकारी संगठनों को योजनाबद्ध तरीके से अनुदान राशि किस्तों में दी जाती है। इन योजनाओं में, कार्यान्वयन ऐजेंसियों द्वारा वेतन न दिए जाने के बारे में कोई सामान्य शिकायत नहीं हैं। फिर भी हिमाचल प्रदेश म अनुदान राशि के कथित दुरुपयोग की हिमाचल राज्य सरकार द्वारा सतकर्ता जांच करवाए जाने के कारण अपंग व्यक्तियों के लिए संगठनात्मक सहायता योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद् को भारत सरकार की ओर से वर्ष 1991-92 के लिए दी जाने वाली अनुदान सहायता रोक दी गई थी।

(ख) और (ग) कल्याण मन्त्रालय ने अब मामले की पुनरीक्षा की है और इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा और आगे जांच किए जाने तक हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण राज्य परिषद्, शिमला को वर्ष 1991-92 के लिए 9,47,977/-रुपए की राशि मंजूर कर दी है।

(घ) भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित विभिन्न बाल कल्याण योजनाओं के लिए वर्ष 1992-93 हेतु उपलब्ध कराई गई धनराशि संलग्न विवरण (नीचे देखिए) में दी गई है। कार्यान्वयन एजेंसियों को योजनाबद्ध तरीके से तथा धन के उपयोग के अनुसार धनराशि दी जाती है तथा इन प्रावधानों का राज्य-वार कोई अग्रिम नियतन नहीं किया गया है।